


164/2024

11.7.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्तों की अंतिम बहस सुनी गई थी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड व दस्तावेज का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी के आवेदन में सारवान तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा